न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>''प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021''</u>

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
22 / 2021	08.04.2021	12.10.2021

अनवान

1. नारायण लाल पिता गंगाराम जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. पन्नालाल पिता नारायण लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. घीसु लाल पिता नारायण लाल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता प्रताप जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गोरीशंकर पिता वैणीराम जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. होराम पिता कजोड जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. मांगु पिता गोपी जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भैरू पिता डालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. मोहन पिता माना जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. तुलसीराम पिता कालु जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. रतनलाल पिता कालु जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. मिठुलाल पिता कालु जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. भैरूलाल पिता प्रताप जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. देवजी पिता प्रताप जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. मांगीलाल पिता मोहनलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:49:29 IST
Reason: SelfAttested

13. बद्रीलाल पिता मोहनलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. रतनलाल पिता गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. पन्नालाल पिता कुका जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी प्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया । जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.09.2021 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थीगण आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र तुर्कियाखुर्द में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 367, 368, 369, 379, 390, 402, 407, 408, 413, 373, 378, 376, 361, 364, 365, 366, 375, 377, 382, 383, 389, 412, 416, 520/182 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत 2074 — 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 367, 368, 369, 379, 390, 402, 407, 408, 413, 373, 378, 376, 361, 364, 365, 366, 375, 377, 382, 383, 389, 412, 416, 520/182 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:49:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:49:29 IST
Reason: SelfAttested